UPSI180028212025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-362/2025

नन्दा बनाम रेखा देवी आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**76.5 रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री राजकिशोर सिंह**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**29.10.2025**

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-02.12.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2</u>

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादभूमि गाटा संख्या-109 रकबा 0.109हे० स्थित ग्राम कोदौरा, परगना कोड़री दक्षिणी, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर कब्जा करने एवं वादी के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची-9ग1 से एक किता उद्धरण खतौनी नकल गाटा संख्या-109 रकबा 0.109हे० स्थित ग्राम कोदौरा, परगना कोड़री दक्षिणी, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-10ग1, एक किता खसरा नकल गाटा संख्या-109 रकबा 0.109हे० स्थित ग्राम कोदौरा, परगना कोड़री दक्षिणी, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-11ग1, एक किता जाति प्रमाण-पत्र नकल वादी नन्दा कागज संख्या-12ग1, एक किता वादीय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-13ग1 एवं एक किता भू-चित्र चकबन्दी ग्राम कोदौरा, परगना कोड़री दक्षिणी, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-14ग1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी नकल कागज संख्या-10ग1 व खसरा नकल कागज संख्या-11ग1 अवलोकन से यह विदित होता है कि उपर्युक्त वादभूमि गाटा संख्या-109 रकबा 0.109 राजस्व अभिलेखों में वादी नन्दा पुत्र नत्था के नाम बतौर संक्रमणीय भूमि दर्ज है जिसका वह मालिक है एवं वह उस पर काबिज है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा नियत तिथि तक के लिए उपरोक्त वादभूमि

...............(P.T.O)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.10.29 17:26:34 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmudabad, Sitapur.

गाटा संख्या-109 रकबा 0.109हे० स्थित ग्राम कोदौरा, परगना कोड़री दक्षिणी, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर किसी भी प्रकार का कब्जा व हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया जाए।

आदेश

न्यायालय द्वारा नियत तिथि तक प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे वादभूमि गाटा संख्या-109 रकबा 0.109हे० स्थित ग्राम कोदौरा, परगना कोड़री दक्षिणी, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा व हस्तक्षेप न करें। यह आदेश मात्र वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। वादी आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुपालन अविलम्ब करे। वादी के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-02.12.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8ग2वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादी जरिये **अमीन कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-29.10.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)